राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1261/2006/टौंक

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–टोंक । .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स आकोदिया इण्डस्ट्रीज, मालपुरा टौंक .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
मदन लाल, सदस्य.

उपस्थित ::
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अधिवक्ता । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत प्रतिनिधि । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11.09.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–टोंक (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **25.10.2005** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 88/आर. एस.टी/98–99 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित करने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का वर्ष 1996–97 का निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत् दिनांक 16.03.1999 को पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ रिकॉर्ड की पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस सुनी गयी ।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अभिखण्डित कर कायम की गयी मांग राशियों को पुनःस्थापित (restore) करने की प्रार्थना की ।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक **24.09.2007** की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **25.10.2005** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **24.09.2007** को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है । अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी. जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

7. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576 ।** (राज.)

2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79 ।** (आर.टी.टी.)

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत अपील को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर

लगातार.....3

बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक **24.09.2007** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

10. परिणामतः अपील अस्वीकार की जाती है ।

11. निर्णय सुनाया गया ।

11.9.2015

(मदन लाल)
सदस्य